115

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०

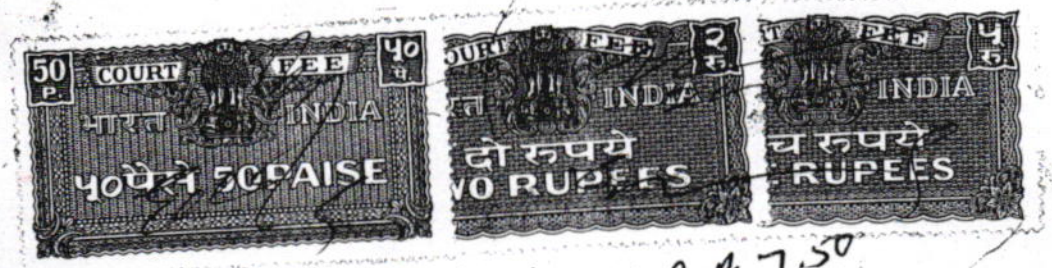

50 P. COURT FEE 50 पै. भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

COURT FEE 2 रु. INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 5 रु. INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

RM/10-17-RM-25/96 C.F. Rs 7.50

श्री रामदत्त तनय श्री हरिशरण राम निवासी ग्राम पुरवातीर तहसील त्यौंथर, जिला रीवा म०प्र० --------- आवेदक

30.4.96

विरुद्ध

1-श्री रामसुफल तनय गोमती राम ।

2- श्री आनन्द प्रसाद तनय गिरिजा प्रसाद ।

3- श्री चन्द्रिका प्रसाद तनय कौशल प्रसाद ।

4- श्री राधिका प्रसाद तनय कौशल प्रसाद ।

सभी निवासी ग्राम पुरवातीर तह० त्यौंथर, जिला रीवा म०प्र०

----- अनावेदकगण

कार्यालय कलेक्टर, रीवा म.प्र.
दिनांक 24 APR 1996
... का नाम श्री हरनारायण सिंह, वकील द्वारा प्रस्तुत
24-4-96
अधीक्षक
कार्यालय कलेक्टर, रीवा (म. प्र.)

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म०प्र० दिनांक 16/2/96 अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०,

प्रकरण क्रमांक 6बी121/95-96 में संलग्न प्रकरण क्रमांक 278/92-93,

----

मान्यवर,

निवेदन है कि तहसीलदार तहसील त्यौंथर जिला रीवा म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 31अ6/90-91 में पारित आदेश दिनांक 6/12/91 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 0.41 डि०, 35 रकबा 0.42 डि०, स्थित ग्राम नकटी तहसील त्यौंथर जिला रीवा का नामांतरण अनावेदक रामसुफल के नाम स्वीकार किया गया जिस नामान्तरण आदेश के विरुद्ध आवेदक रामदत्त द्वारा अपील की गई, प्रथम अपील प्र०क्र० 18अ6/91-92 में पारित निर्णय दि० ... के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी तह० त्यौंथर जिला रीवा ...

R. 495/94 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/8/16	आवेदक अधि० श्री- डी०एस० -चौहान उपस्थित। अना-1 की ओर- से श्री आर.एम. सेंगर. उपस्थित। 2- उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक का कहना है कि- तहसीलदार. का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ~~[illegible]~~ प्रत्यावर्तित किया गया था जिसके विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त रीवा में यहाँ प्रस्तुत की। आवेदक अधि० का यह भी कहना है कि विवादित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती है। 3 अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे। अना. का कहना है कि आवेदक की निगरानी ~~[illegible]~~ अनुचित प्रस्तुत की गई है उसके विरुद्ध रिट अपर आयुक्त के यहां पेश किया गया है तथा निगरानी के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल में भी निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4- अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तह० का आदेश प्रत्यावर्तित किया गया है वह सही है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। 5. अतः प्रस्तुत निगरानी आंशिकतया स्वीकार की जाती है। यह प्रकरण समाप्त हो। सदस्य	

शा.मुद्रा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.